सचिव
माननीय राज्यपाल, राजस्थान

सत्यमेव जयते

राजभवन, जयपुर - 302 006
राजस्थान,
फोन : +91-141-2228792
फैक्स : +91-141-2221156

क्रमांक : एफ.47(2)आरबी/2025/5418
दिनांक : 07 अक्टूबर, 2025

प्रो. त्रिभुवन शर्मा
कुलगुरू,
राजस्थान पशुचिकित्सा और
पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर।

महोदय,

राजभवन के आदेश क्रमांक 5099–5100 दिनांक 29.09.2022 के माध्यम से डॉ. बलराज सिंह को श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का कुलगुरू नियुक्त किया गया था।

इस सचिवालय के आदेश क्रमांक 5385–86 दिनांक 07.10.2025 के माध्यम से माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा डॉ. बलराज सिंह, कुलगुरू, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को कुलगुरू पद से तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।

उपर्युक्त क्रम में निवेदन है कि विश्वविद्यालय में नियमित कुलगुरू की नियुक्ति में समय लगने की संभावना प्रतीत होती है साथ ही कामचलाऊ व्यवस्था किये जाने हेतु राज्य सरकार की सलाह प्राप्त होने में भी समय लगने की संभावना प्रतीत होती है।

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रो. त्रिभुवन शर्मा, कुलगुरू, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर को श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर में कामचलाऊ व्यवस्था हेतु लगाये जाने का अनुमोदन किया गया है।

अतः मैं, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के निर्देशानुसार आपको अग्रिम आदेशों अथवा राज्य सरकार से उक्त संबंध में सलाह प्राप्त होने तक कामचलाऊ व्यवस्था अन्तर्गत (Stop-gap arrangement) अतिरिक्त प्रभार के रूप में श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के कुलगुरू के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

भवदीय,

(डॉ. पृथ्वी)

क्रमांक : एफ.47(2)आरबी / 2025 / 5419 दिनांक : 07 अक्टूबर, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :—

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. डॉ. बलराज सिंह, निलंबित कुलगुरू, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
6. कुलसचिव, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
7. कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान